मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी संघ
M.P. Finance Service Officers Association

MPFSOA
Regn No. 20276

अध्यक्ष
रणजीत सिंह चौहान
7974031736

उपाध्यक्ष
आदित्य सिंह भदौरिया
7000451744
श्रीमती मनीषा मिश्रा
7000324540
श्रीमती अमिता श्रीवास्तव
6264452054

सचिव
विवेक कुमार धारू
9407532895

संगठन मंत्री
तेजनारायण सिंह
9425439707

सांस्कृतिक सचिव
बसंती आठया
9131570560

सह सचिव
चंद्रकांत साहू
8962838518
ऊषा खरयाम
9406542713
आशीष नंदनवार
9755949210

कोषाध्यक्ष
निखिलेश राकेशिया
9827063256

संघ प्रवक्ता
अरविंद कुमार गुप्ता
8989113860

कार्यकारिणी सदस्य
गुणवंत सेवतकर
राजेश मौर्य
अमन पस्तोर
अमर गांजरे
सुनील भदौरिया
रोशन लाल दोनेरिया
रविन अवास्या
अमित श्रीवास्तव
अमित कुमार यादव
योगेन्द्र श्रीवास्तव
रीना यादव
लक्ष्मी नारायण चौहान

क्रमांक 344 म.प्र.वि.से.अधि.सं./ भोपाल, दिनांक 02-06-2025

प्रति,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय,
भोपाल

विषयः—वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं अधिसमय वेतनमान में चयन द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में।

आपके द्वारा, दिनांक – 01.01.2025 की स्थिति में वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी में चयन (नियुक्ति) हेतु सिलेक्शन कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है, **इसके लिए संघ शासन का आभार व्यक्त करता है।**

वित्त सेवा अंतर्गत, विभिन्न श्रेणी के वेतनमान, जिस दिनांक से अधिकारियों को दिये गये है उसमें **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** का भी उल्लेख है इस संबंध में संघ का प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

1. वर्ष 1964 में वित्त सेवा संवर्ग गठन के दौरान केवल दो स्तरीय वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी) था। तदपश्चात वर्ष–1984 में वित्त विभाग द्वारा वित्त सेवा का तीन स्तरीय वेतनमान (कनिष्ठ वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान) स्वीकृत किया गया। तब से जितने भी आदेश जारी हुए है, सभी आदेशों मे डयू डेट से वेतन भत्तों का लाभ दिये जाते रहे थे। इस दौरान जारी चयन द्वारा नियुक्ति के **आदेशों में कही भी "कार्य नहीं वेतन नहीं" का उल्लेख नहीं रखा गया था।**

2. वर्ष–1991 में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का "चौथा वेतनमान" (अपर संचालक स्तर) स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2013 में अधिसमय वेतनमान का "पाँचवा वेतनमान" (संचालक स्तर) स्वीकृत हुआ इस समय प्रवर श्रेणी से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी से अधिसमय वेतनमान में PSC के माध्यम से **"पदोन्नति"** का प्रावधान रखा गया था। इसीलिए इस दौरान **इन दोनों स्तरों के पदोन्नति के जारी आदेशों में, "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्वांत लागू किया गया जो पूर्णतः सही था।**

3. सेवा भर्ती नियमों में संशोधन के पश्चात, वर्ष–2018 से वित्त सेवा संवर्ग के सभी वेतनमानों को एक समान, **"चयन द्वारा नियुक्ति"** वाली क्रमोन्नति प्रकिया में परिवर्तित कर दिया गया।

→

कार्यालय : **F - 108/54,** शिवाजी नगर, भोपाल – 462011
यसवन्त सिंह – मो. नं. 8817715763 ईमेल : vittvyavastha@gmail.com